न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 04/2022

अनवान : —

1. पन्नाराम पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी नेहरावाली ढाणी 22 आरडब्ल्यूडी गंधेली त0 रावतसर व जिला हनुमानगढ़।

—प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :—श्री राजेश प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय   दिनांकः 25/08/22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं0 81/59 के खसरा सं0 650, 665, 665/4 की कुल 4.0470है0 में प्रार्थी के नाम 1/8 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम पन्नाराम पुत्र हनुमान है जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजो यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड, पैनकार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान—पत्र, बैंक पासबुक आदि में दर्ज है, लेकिन प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में पन्नालाल पुत्र हनुमान दर्ज हो गया। इस प्रकार आज दिनांक तक नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भूमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रही है। अतः राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम पन्नालाल की जगह पन्नाराम पुत्र हनुमान दुरूस्त करवा पाने की प्रार्थी कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तथा तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट ली गई।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम पन्नाराम पुत्र हनुमान है जबकि राजस्व रिकार्ड में विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय पन्नालाल दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है । अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर व तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट के अनुसार प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में सही नाम पन्नाराम पुत्र हनुमान दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया ने रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं0 81/59 के खसरा सं0 650, 665, 665/4 की कुल 4.0470है0 में प्रार्थी के नाम 1/8 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी अपना नाम पन्नालाल की जगह पन्नाराम पुत्र हनुमान दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड, पैनकार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान–पत्र, बैंक पासबुक में प्रार्थी का सही नाम पन्नाराम व तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट के मुताबिक भी सही नाम पन्नाराम पुत्र हनुमान दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं0 81/59 के खसरा सं0 650, 665, 665/4 की कुल 4.0470है0 में प्रार्थी के नाम 1/8 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में दर्ज **पन्नालाल पुत्र हनुमान की जगह प्रार्थी का सही नाम पन्नाराम पुत्र हनुमान** राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करें। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि पन्नालाल पुत्र हनुमान के नाम से हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम पन्नालाल पुत्र हनुमान ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक ..25/08/22.. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ